भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 246
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई दावों का समय पर निपटान

246. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः
श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत किसानों के दावों का समय पर निपटान किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार का किसानों पर ऋण के बोझ को कम करने के लिए कोई नई योजना शुरू करने अथवा कोई पहल करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली तथा मध्य प्रदेश से संबंधित तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि ऋण माफी के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार का इसे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित करने का विचार है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) देश में खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई थी। यह योजना राज्यों और किसानों के लिए स्वैच्छिक है। बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। इस योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक हितधारक की भूमिका और जिम्मेदारियाँ योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में परिभाषित की गई हैं।

अधिकांश दावों का निपटारा योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा अर्थात बीमा कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित उपज के आंकड़े प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर किया जाता है। तथापि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्य रूप से **(क) सब्सिडी का राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने में देरी (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/विलंबित भुगतान या दावों का कम भुगतान (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि के कारण हैं।** इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटारा योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है।

सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं:

- सरकार द्वारा सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान का विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने सहित सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के एकल स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)** को विकसित किया गया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल को अपनाया गया है। इसमें खरीफ 2024 से, सभी दावों की समय पर और पारदर्शी प्रोसेसिंग करने के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) का एकीकरण शामिल है। यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो एनसीआईपी के माध्यम से 12 प्रतिशत का जुर्माना स्वत: गणना करके लगा दिया जाता है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग करने का कार्य शुरू किया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो।
- खरीफ 2025 सीजन से योजना के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रीमियम हिस्से को अग्रिम रूप से जमा करने के लिए एस्क्रो खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार के लिए सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा एकत्र करना और उसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन की निगरानी करने की अनुमति प्रदान करना, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।
- बीमा कंपनी द्वारा दावों के भुगतान में देरी होने पर 12% जुर्माने का प्रावधान है जिसकी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर स्वतः गणना की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत हाल ही में वर्ष 2023-24 से ऑब्जेक्टिव फसल क्षति एवं नुकसान आकलन और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित तकनीकों को भी कयान्वित किया गया है:

i. यस-टेक (तकनीक पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली) का क्रमिक स्थानांतरण रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान में करने से उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह पहल खरीफ **2023** से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है**,** जिसमें उपज अनुमान में **30%** भारांक अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ **2024** सीजन से जोड़ा गया है।

ii. विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम) इसका उद्देश्य जीपी और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क के **5** गुना के बराबर स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) और स्वचालित वर्षा-गेज (एआरजी) के नेटवर्क की स्थापना करना है। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के समन्वय में अंतर-संचालनीयता और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में फीड किया जाएगा। विंड्स, न केवल यस-टेक के लिए डेटा प्रदान करता है**,** बल्कि प्रभावी सूखा एवं आपदा प्रबंधन**,** सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

विभाग सभी हितधारकों की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, व्यक्तिगत बैठकों और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी कर रहा है।

(ख) से (घ): जी नहीं। वर्तमान में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ऋण माफी की कोई योजना संचालित या विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार, पूरे भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 100% केंद्र-वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना नामतः संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य, किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण प्रदान किया जाता है। इसकी प्रक्रिया के सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज अनुदान (आईएस) प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋणों का समय पर भुगतान करते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

आईएस और पीआरआई का लाभ 3 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए उपलब्ध है। तथापि, यदि अल्पकालिक ऋण संबद्ध गतिविधियों (फसल पालन के अलावा) के लिए लिया जाता है, तो ऋण राशि 2 लाख रुपये तक सीमित रहती है।

*****